हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014

भाग–एक

1. (क) <u>प्रस्तावना</u> :–

निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण नियम 2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहित प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एच0एस0जी0–4 (डी)–1–1/92/2, दिनांक 13.09.2004 के अनुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु अधिकृत किया गया है तदानुसार आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डी मण्डल के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2014 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ई0डी0के0 टण्डन अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस मण्डल के आहरण/संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण</u> :–

क्र0 सं0	आपत्ति का विवरण	पैरा संख्या	राशि लाखों में (₹)
1)	विविध अग्रिमों की राशि समायोजन हेतु शेष	4	28.66
2)	स्टाफ अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष	5	3.53
3)	विभिन्न आवास बस्तियों के रख–रखाव प्रभार की वसूली शेष	6	33.74
4)	विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं से जल प्रभार की वसूली शेष	7	0.95
5)	अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर अपरोक्ष रूप से मण्डल को लाखों की हानि	8	58.11
6)	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन करना	9	5.41
7)	संविदाकारों को बिना औचित्य के सर्विस टैक्स की राशि रिफण्ड करना	10	8.31
8)	स्टोर/स्टॉक की विभिन्न मदों का कई वर्षों से उपयोग न करने के कारण निधि का अवरोधन	11	1.63
9)	विभिन्न निर्माण कार्यों के ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिए बनाए गए सीमेन्ट कंकरीट ब्लॉक	12	0.55

	की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप अधिक भुगतान		
10)	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (राजगढ़) (विज्ञान भवन के निर्माण) कार्य पर अधिक भुगतान	13	0.22
11)	यात्रा भत्ते दावों का अनियमित भुगतान	16	0.23
12)	विश्राम गृह की आय की अपेक्षा अत्याधिक व्यय	22	1.25

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :–

हिमुडा के मण्डी मण्डल के गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर मण्डल स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः यह मामला हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है। अवधि 04/94 से 03/13 तक मण्डल से सम्बन्धित 94 पैरे शेष थे जिन का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है तथा विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट–''I'' में दर्शाया गया है।

क्र0 सं0	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	टिप्पणी
1)	1994–95	1	
2)	1999–2000	1	
3)	2000–2001	3	
4)	2001–2002	1	
5)	1997–1998	1	नगर विकास प्राधिकरण से समबन्धित
6)	1999 से 15.01.2001	1	
7)	2003–2004	1	
8)	2004–2005	1	
9)	2005–2006	4	
10)	2006–2007	4	
11)	2007–2008	8	
12)	2008–2009	13	
13)	2009–2010	11	
14)	2010–2011	11	
15)	2011–2012	10	
16)	2012–2013	11	
	योग	**82**	

अतः अधिशासी अभियन्ता आवास एवं शहरी विकास मण्डल मण्डी उपरोक्त अनिर्णीत ऑडिट पैरों में अपेक्षित कार्रवाई करने के उपरान्त इन पेरों का निस्तारण करवाना सुनिश्चित करें।

2. **<u>वर्तमान अंकेक्षण</u> :–**

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2014 का अंकेक्षण श्री मोहिन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री विजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 14.11.2014 से 26.02.2015 तक श्री बसंत सिंह कवर, उप निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला–09 के पर्यवेक्षण में मण्डी में किया गया। विस्तृत जाँच हेतु माह 10/2013 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है। आगामी पैराग्राफों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त अंकेक्षण हेतु समस्त अभिलेख उपलब्ध करवाया गया।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण मण्डल के आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किए गए अभिलेख के आधार पर किया गया है। मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है क्योंकि लेखाओं का अंकेक्षण केवल चयनित मास तक ही सीमित रखा गया है।

3. **<u>अंकेक्षण शुल्क</u> :–**

हिमाचल आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डी मण्डल के लेखाओं अवधि 04/2013 से 03/2014 के अंकेक्षण शुल्क को जमा करवाने के लिए आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मुख्यालय को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4. **<u>विविध अग्रिम की राशि ₹28.66 लाख का समायोजन न करना</u> :–**

दिनांक 31.03.2014 को विभिन्न विभागों/फर्मों/संविदाकारों को भुगतान की गई विविध अग्रिमों की राशि ₹28,66,549/– समायोजन हेतु शेष थी। इस राशि का पूर्ण ब्यौरा इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट–''II''(क) पर संलग्न है। जाँच करने पर पाया गया कि विविध अग्रिमों की अधिकतर राशियाँ लम्बे समय से निपटारे हेतु लम्बित पडी हुई हैं। अतः इस सम्बन्ध में अग्रिम के समायोजन/वसूली हेतु शीघ्र आवश्यक कार्यवाही की जाए।

5. **<u>दिनांक 31.03.2014 तक स्टाफ अग्रिम की राशि ₹3.53 लाख समाजोन हेतु शेष</u> :–**

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि 31.03.2014 को स्टाफ अग्रिम की राशि ₹3,53,280/– समायोजन हेतु शेष थी जिस का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट–''II''(ख) में संलग्न किया गया है। अतः अग्रिम के समायोजन हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6. **<u>दिनांक 31.03.2014 तक विभिन्न आवास बस्तियों के रख–रखाव प्रभार के रूप में राशि ₹33.74 लाख वसूली हेतु शेष</u> :–**

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी के अन्तर्गत विभिन्न उपमण्डलों की आवास बस्तियों के रख–रखाव अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2014 तक रख–रखाव प्रभार के रूप में राशि ₹33,73,718/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी जिसका उप मण्डल वार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	आवास बस्ती का नाम	दिनांक 31.03.2014 को वसूली योग्य राशि
1)	**<u>उपमण्डल मण्डी</u>**	
	आवास बस्ती धोन्दी	1,80,630.00
	आवास बस्ती सनयार्ड	55,159.00
	आवास बस्ती मयूली	5,89,293.00
2)	**<u>उपमण्डल हमीरपुर</u>**	
	आवास बस्ती दड़ूही	74,932.00
3)	**<u>उपमण्डल बिलासपुर</u>**	
	आवास बस्ती फेस–I	4,79,179.00
	आवास बस्ती फेस–II	39,794.00
4)	**<u>उपमण्डल कुल्लू</u>**	
	आवास बस्ती, शाही नाला	2,11,382.00
	आवास बस्ती, देवता ग्राऊंड	2,24,991.00
	आवास बस्ती, ब्यासा मोड	15,18,358.00
	कुल योग	**₹33,73,718.00**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रख–रखाव प्रभार की वसूली योग्य राशि निरन्तर बढ़ रही है जो कि एक गम्भीर विषय है। अतः मण्डल व उपमण्डल स्तर पर वसूली हेतु प्रभावी पग उठाए जाने की आवश्यकता है। अतः वसूली हेतु की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7. **विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं से जल प्रभार के रूप में राशि ₹0.95 लाख की वसूली शेष :–**

मण्डी मण्डल के अधीन विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं के जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2014 तक विभिन्न बस्तियों से जल प्रभार के रूप में राशि ₹94,994/– की वसूली करनी शेष थी। अतः मण्डलाधिकारी को परामर्श दिया जाता है कि लम्बित जल प्रभार राशियों की वसूली हेतु ठोस कदम उठाये जाएं तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए। जल प्रभार की वसूली योग्य राशि का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	जल आपूर्ति योजना का नाम	दिनांक 31.03.2014 को वसूली हेतु शेष राशि
1)	**उपमण्डल मण्डी**	
	आवास बस्ती धोन्दी	7,666.00
	आवास बस्ती सनयार्ड	24,309.00
2)	**उपमण्डल हमीरपुर**	
	आवास बस्ती नया नगर	1,852.00
3)	**उपमण्डल कुल्लू**	
	आवास बस्ती, शाही नाला	37,661.00
	आवास बस्ती, देवता ग्राऊंड	23,506.00
	कुल योग	**₹94,994.00**

8. **अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने पर परोक्ष रूप से मण्डल को राशि ₹58.11 लाख की हानि :–**

हिमुडा मण्डल मण्डी के विभिन्न निर्माण कार्यों के अनुबन्ध शर्तों व आबंटन पत्रों की जाँच करने पर पाया गया कि संविदाकारों द्वारा कार्य निष्पादन की निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया तथा निर्धारित अवधि की समय सीमा पूर्ण होने के बाद 31.03.2014 तक भी आबंटित कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। अनुबन्ध की धारा–2 के अन्तर्गत संविदाकार द्वारा कार्य में विलम्ब करने के कारण मण्डल स्तर पर कोई भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई थी। अनुबन्ध क्लॉज–2 में दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्य में देरी के लिए निर्माण कार्यों की टेंडरड राशि ₹5,81,05,970/– पर अधिकतम दस प्रतिशत की दर से दण्ड के रूप में संविदाकारों से ₹58,10,597/– की वसूली की जानी अपेक्षित थी।

अतः उक्त क्लॉज के अन्तर्गत अपेक्षित कार्रवाई न करने के फलस्वरूप हिमुडा को परोक्ष रूप में ₹58,10,597/—की हानि हुई है जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इसके अतिरिक्त यह प्रकरण हिमुडा उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है।

जिन निर्माण कार्यों में देरी के लिए क्लॉज–2 के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गई उस का ब्यौरा निम्न प्रकार से है :–

क्र0 सं0	**निर्माण कार्य का नाम**	**आबंटन पत्र सं0**	**निर्धारित अवधि**	**टैण्डरड राशि**	**दण्ड स्वरूप परोक्ष रूप से हानि**
1)	C/o Vety. Hospital at Ram Nagar SH. C/o Meeting Hall Distt Mandi.	HIMUDA/MD/ W-28/2010-9111-20, dt. 07-03-11	6 month	24,99,858	2,49,986
2)	C/o G.S.S.S. at Nagwain Distt. Mandi	HIMUDA--9314-23, dt. 16-03-11	6 month	36,56,719	3,65,672
3)	C/o 4th IRB at Jangalberi SH C/o 2No. Barrack & Kitchen	HIMUDA--2107-15, dt. 01-07-10	18 month	5,19,49,393	51,94,939
			Total	**5,81,05,970**	**58,10,597**

9. <u>सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना राशि ₹5.41 लाख की अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन करना</u> :–

हिमुडा मण्डल मण्डी के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित चलित बिलों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण कार्यों के चलित बिलों मे अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की बिना पूर्व स्वीकृति व दर अनुमोदन के ही करवाया गया था। नियमानुसार इस प्रकार के कार्य मदों का निष्पादन पूर्व स्वीकृति व भुगतान दरों के अनुमोदन उपरान्त करवाया जाना अपेक्षित था । अतिरिक्त/प्रतिस्थापित मदों का निष्पादन बिना अनुमोदन के करवाया जाना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है। उपरोक्त प्रकरण आवश्यक उचित कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ विशेष रूप से लाया जाता है चलित बिलों मे निष्पादित की गई अतिरिक्त व प्रतिस्थापित मदों के दर विश्लेषण अनुमोदन आवश्यक पड़ताल हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत

किए जाने सुनिश्चित किए जायें तथा भविष्य में सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व दर अनुमोदन के उपरान्त ही कार्य मदों का निष्पादन करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। बिना पूर्व स्वीकृति के निष्पादित कार्य मदों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार से हैं

अनुबन्ध सं0	**निर्माण कार्य का नाम**	**चलित बिल सं0**	**कार्य मद का संक्षिप्त नाम**	**कार्य मात्रा**	**भुगतान दर**	**भुगतान की गई राशि (₹)**
	c/o Vety hospital Sh. Repair of pool store, c/o meeting hall	5th	Demolition of brick work above ground level upto floor level	21.80	400	8,720
			Demolition of Stone Masonary above ground level	17.72	400	7,088
			Demolition of Stone Masonery below ground level upto 1.5m level	19.67	400	7,868
			Brick work using 2nd class brick in foundation	4.33	2800	12,124
			Applying Birla white care putty over plaster surface after brashing the surface from mortar drops, dust, loose	266.52	20	5,330

			material			
			Rolling shutter operated by gear box and crank handle	10.70	450	4,820
			Providing & Fixing plywood lining with nut jointing & Nails	8.62	225	1,940
			Providing & Fixing 10mm thick antiskiol water proofing vitrified tiles	78.09	500	3,905
47 of 2012-13	c/o community center i/c parking & Harvesting tank Sunder Nagar	5th	Stone soling	49.19	380	18,692
			Stone filling behind Retaining wall	64.25	628	40,349
	C/o 4th IRB Jungleberi c/o 2no. Barracks	22nd	Painting wall with external emulsion snocem	6033.85 sqmt	60	3,62,031
	C/o CRC Sunder Nagar SH c/o Toilet in2nd floor	2nd & final	Excavation in earth work and filling foundation	240.46	82.25	19,778
			P/F 35mm thick 2nd class Deodar window & shutter	24.88	1837.50	45,717

P/F Anodized Aluminum sliding door	14	166.70	2,334
		Total	**₹5,40,696**

10. **<u>संविदाकारों को सर्विस टैक्स की राशि ₹8.31 लाख का रिफण्ड करने बारेः—</u>**

हिमुडा मण्डल मण्डी के माह 10/2013 के भुगतान वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित संविदाकारों को विभिन्न निर्माण कार्यों से वसूल की गई सर्विस टैक्स की राशि ₹8,31,069/— रिफण्ड की गई थी। उक्त रिफण्ड की गई राशि के निर्माण कार्य बारे न तो वाऊचरों में स्पष्ट उल्लेख किया गया था ओर न ही सर्विस टैक्स को रिफण्ड करने का उद्देश्य बताया गया। अतः इन संविदाकारों द्वारा किए गए निर्माण कार्य का स्पष्ट उल्लेख किया जाए तथा किस चलित बिल/माप पुस्तिका से सर्विस टैक्स की राशि वसूल की गई थी, निर्माण कार्य का प्रकार भी स्पष्ट किया जाए। इस के अतिरिक्त संविदाकारों को सर्विस टैक्स की राशि लौटाने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाए तथा रिफण्ड की गई राशि का मूल अभिलेख, माप पुस्तिका में रिफण्ड की प्रविष्टि दर्शाई जाए ताकि संविदाकारों को दोहरे भुगतान की सम्भावनाओं से कम किया जा सके। अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

वाऊचर सं0/माह	संविदाकार का नाम	निर्माण कार्य का नाम	सर्विस टैक्स की रिफण्ड की गई राशि
23, 10/2013	मै0 जसवीर नाथ कन्सट्रकशन प्राईवेट लि0	स्पेशल रिपेयर ट्राऊट फिश फार्म पतलीकूहल	5,336.00
35, 10/2013	मै0 अमृत लाल	विवरण नहीं दिया गया	32,434.00
44, 10/2013	श्री कर्म सिंह	—यथोपरि—	66,557.00
54, 10/2013	श्री मनीष नेगी	—यथोपरि—	10,238.00
58, 10/2013	श्री संजय निराला	दूसरा चलित बिल पपलोग	64,733.00
109, 10/2013	श्री रूप लाल	विवरण नहीं दिया गया	9,323.00
110, 10/2013	श्री पवन कुमार	—यथोपरि—	2,807.00
79, 10/2013	श्री कृष्ण कुमार	—यथोपरि—	6,825.00
80, 10/2013	श्री लोक राज सैणी	अः स्टेट बस टर्मिनल	6,32,816.00
		कुल योग	**8,31,069.00**

11. स्टॉक स्टोर में राशि ₹1.63 लाख की विभिन्न मदों का कई वर्षों से उपयोग न करना

हिमुडा मण्डल के विभिन्न उपमण्डलों के स्टॉक लेखों की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि विभिन्न प्रकार का सामान अनेक वर्षों से प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है तथा अनावश्यक रूप से रख–रखाव करना पड़ रहा है। अतः ₹1,62,568/– के अनेक वर्षों से लम्बित चले आ रहे भण्डार बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व इसके प्रयोग हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

उपमण्डल का नाम	समान का विवरण	दिनांक 31.03.14 तक शेष मात्रा	जिस दिनांक से लम्बित पाई गई	क्रय दर	राशि (₹)
मण्डी	पी0जी0 शीट 80mm	.286 Mt	26.05.08	26258 मी0टन	7,510.00
	सी जी आई शीट .63mm–8 फुट	.237 Mt	26.05.08	33143 मी0टन	7,855.00
	सी जी आई शीट .63mm 10 फुट	.464 Mt	01.07.08	41818 मी0टन	19,404.00
	एलयुमिनियम स्लाईडिंग टावर वोल्ट 200x16mm 72-No.	72 नं0	21.12.06	81	5,832.00
	एलयुमिनियम टावर वोल्ट 150x10mm	28 नं0	21.02.06	25.30	708.00
	एलुमिनियम हैण्डल 10mm	40 नं0	21.12.06	21	840.00
	सी पी वेस्ट 40mm	24 नं0	21.12.06	85	2,040.00
	टोर स्टील 18mm	.009 MT	07.01.02	16645 मी0टन	150.00
बिलासपुर	रैकरोन	824 पैकेट	18.05.09	44	36,256.00
	जी पी शीट 80mm	2.33 MT	18.05.09	25751	60,000.00
	सी पी वोटल ट्रैप	18 नं0	03.09.02	245	4,410.00
	एलयुमिनियम हैन्डल 75mm	99 नं0	03.09.02	1663	1,646.00
	जी आई पाईप 50mm	124 Rm	01.09.2000	121.36	15,049.00
				कुल योग	**₹1,62,568**

12. विभिन्न निर्माण कार्यों में ब्रिक वर्क की कार्य मात्रा से होल्ड फास्ट के लिए बनाए गए सीमेन्ट कंकरीट ब्लॉक की कार्य मात्रा को कम न करने के फलस्वरूप राशि ₹0.55 लाख का अधिक भुगतान :–

हिमुडा मण्डल के अवधि 2013–14 के अंकेक्षण के दौरान किए गए निर्माण कार्यों की माप पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्य भुगतान बिलों में दरवाजों/खिडकियों की फ्रेमों को लगाने के लिए आयरन के होल्ड फास्टों का प्रयोग व भुगतान किया गया था। इन होल्ड फास्टों को लगाने हेतु 30x10x15 के सीमेन्ट कंकरीट ब्लॉक बनाए गए थे तथा होल्ड फास्टों को लगाने के लिए माप पुस्तिका में की गई प्रविष्टियों के तहत भुगतान किया गया। परन्तु इन होल्ड फास्टों हेतु डाली गई सी0सी0 ब्लॉक को माप पुसितका में ब्रिक वर्क की मात्रा से नहीं घटाया गया था। जिस के परिणामस्वरूप संविदाकारों को निम्न विवरणानुसार ₹55,277/– का अधिक भुगतान किया गया। जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा संविदाकारों को ₹55,277/– के किए गए अधिक भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

वाऊचर सं0/माह	निर्माण कार्य व संविदाकार का नाम	अनुबन्ध सं0 व चलित बिल	मद सं0	होल्ड फास्ट की सं0	ब्रिक वर्क की मात्रा जो दो बार भुगतान की गई	दर/घन मी0	राशि
39, 10/13	c/o 4th IRB SH.NCOMess I/c WS&S.I	38 of 2010-11 13th	18/39	464	.30x.15x.10x464=2.09	5400	11,275
45, 10/13	Repair of pool store of vety deptt c/o meeting hall	45 of 2011-12 5th	21/26	70	.30x.15x.10x70=.315	3791	1,194
55, 10/13	c/o 2no. T.II quarters at P.S. Swarghat	12 of 2012-13 Ist	4/22	112	.30x15x.10x112=.504	5900	2,974
71, 10/13	c/o G.D.C. Sarkaghat Distt Mandi (Science Block)	20 of 2012-13 7th	27	678	.30x.15x.10x678=3.05	5300	16,170

78, 10/13	C/o Inspector Residence of Panchayati Raj	2 of 2011-12	28/33	168	.30x.15x.10x168=.756	3125	2,363
82, 10/13	C/o ITI at Nadoun distt Hamirpur	19 of 2010-11	32	262	.30x.15x.10x262=1.179	3750	4,421
112, 10/13	C/o G.S.S.S. Rajgarh Distt Mandi	17 of 2010-11	28/05	324	.30x.15x.10x324=1.458	4050	5,905
--	C/o I.T.I. Lambloo Distt Hamirpur	75 of 2012-13	--	536	.30x.15x.10x536=2.412	4550	10,975
						Total	**₹55,277.00**

13. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (राजगढ़) (विज्ञान भवन का निर्माण) कार्य में राशि ₹0.22 लाख का अधिक भुगतान :–

कार्य का नाम	C/o G.S.S.S. at Rajgarh (Sh.c/o Science Block)
अनुबन्ध संख्या	17 of 2012-13
संविदाकार का नाम	M/s Shivance Construction Pvt.Ltd
चलत बिल संख्या	6th R.Bill

वाऊचर संख्याः 112, दिनांक 13.10.2013, राशि ₹67,99,985/– द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला राजगढ़ के विज्ञान भवन के निर्माण कार्यों के चलित बिल का भुगतान किया गया। इस चलित बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 03/25 Providing wood work of 1st Class Deodar की प्रविष्टि का माप पुस्तिका संख्याः 1301 पृष्ठ संख्या 57 में योग 2.012+0.131=2.413 cum लिया गया था जबकि वास्तविक योग 2.143 cum बनता है। इस प्रकार सम्बन्धित संविदाकार को 6th Running Bill MB 1389 पृष्ठ संख्या 9 द्वारा उक्त मद की कुल मात्रा 6.886 cum का भुगतान गया जबकि वास्तविक कुल मात्रा 6.616 cum का भुगतान किया जाना था। अतः संविदाकार को .27 cum कार्य मात्रा दर ₹80,000/– प्रतिघन मीटर से राशि (.27x80,000) =₹21,600/– का अधिक भुगतान किया गया

इस राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14. ₹14,998/– की राशि के स्टॉक का सम्भावित दुर्विनियोजन :–

हिमुडा मण्डल मण्डी के उपमण्डल कुल्लू के स्टॉक लेखों अवधि 01.04.2013 से 31.03.2014 की जाँच करने पर पाया गया कि इण्डैन्ट संख्याः 5789, दिनांक 03.10.13 द्वारा विन कार्ड संख्याः 227 से (12mm) सरिये की मात्रा .300 मी0टन घटाई गई थी जबकि उक्त इण्डैन्ट द्वारा 12mm का सरिया ठेकेदार को प्रयोग हेतु जारी नहीं किया गया। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि 300 कि0ग्राम स्टील जिस की कीमत ₹14,998/– बनती है से स्टॉक कम दर्शाकर इस राशि का दुर्विनियोजन किया गया है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1073, दिनांक 24.02.15 द्वारा अनुरोध किया गया लेकिन मण्डल द्वारा इस बारे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई। अतः इस प्रकरण की विभागीय जाँच करवाई जाए तथा परिणामों से इस विभाग को यथा समय अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15. वीप होलज़ की कार्य मात्रा को सीमेन्ट कंक्रीट की कार्य मात्रा से कम न करने के कारण संविदाकारों को राशि ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करना :–

चयनित मास में भुगतान किए गए निम्न चलित बिलों की विस्तृत जाँच करने पर पाया गया कि रिटेनिंग वॉलों में करवाए गए वीप होलज़ के कार्य में प्रयोग की गई 1.00 एम0एम0 ब्यास की पी0वी0सी0 पाईप की मद का भुगतान संविदाकारों को किया गया लेकिन इन वीप होलज़ के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा को रिटेनिंग वॉलज़ में करवाई गई सी0सी0 1:5:10 की कार्य मात्रा से नहीं घटाया गया। फलस्वरूप संविदाकारों को सी0सी0 1:5:10 की कार्य मात्रा का निम्न विवरणानुसार अधिक व अनुचित भुगतान किया गया।

कार्य का नाम	अनुबन्ध सं0	बिल सं0	मद सं0	सी.सी की कार्य मात्रा जो कम होनी थी	दर प्रति घन मी0	राशि
C/o I.T.I Lambloo	25 of 2012-13	9th	II/4.10x.10x173=1.359Qm		2400/-	3,262.00
C/o IRB Jangal Beri	59 of 2010-11	10th & Final bill	II/4.10x.10x308.70=2.43m^3		2400	5,832.00
					Total	**₹9,094.00**

अतः अधिक भुगतान की गई राशि ₹9,094/– की वसूली सम्बन्धित संविदाकारों से करनी सुनिश्चित की जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16. <u>राशि ₹0.23 लाख के यात्रा भत्ते दावों का अनियमित भुगतान</u> :–

माह 10/2013 के दौरान समायोजन वाऊचरों की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा भत्ते दावों का भुगतान किया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों ने यात्रा के दौरान व्यक्तिगत वाहन, कार/मोटर साईकल का उपयोग किया था जिस की सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्याः हिमुडा 5–439/2005, दिनांक 16.02.2015 के अनुसा अधिकारी/कर्मचारियों को व्यक्तिगत वाहन उपयोग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेनी आवश्यक थी। अतः व्यक्तिगत वाहन के प्रयोग करने के फलस्वरूप विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को यात्रा भत्ते दावे के रूप में ₹22,710/– का अनियमित भुगतान किया गया जिस के नियमों के दृष्टिगत औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

समायोजन वा0 सं0	माह	राशि (₹)	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	यात्रा माह	व्यक्तिगत गाडी से की गई यात्रा कि0 मी0	दर प्रति कि0 मी0	कुल भुगतान
1	10/13	78303	श्री ए0पी कपूर, सह0 अभियन्ता	03/13	322	6	1932
			–यथोपरि–	4/13	506	6	3036
			–यथोपरि–	5/13	368	6	2208
			–यथोपरि–	6/13	388	6	2328
3	10/13	46335	श्री रविन्द्र ठाकुर, कनिष्ठ अभियन्ता	7/13	864	2	1728
			श्री जगत राम, सह0 अभियन्ता	5/13	271	6	1626
			–यथोपरि–	7/13	246	6	1476

5	10/13	27415	श्री रविन्द्र ठाकुर, कनिष्ठ अभियन्ता	8/13	262	2	524
			श्री जगत राम, सह0 अभियन्ता	8/13	656	6	3936
			श्री कुशाहल ठाकुर, कनिष्ठ अभियन्ता	6/13	1076	2	2152
			–यथोपरि–	7/13	282	2	1764
						कुल योग	**₹22,710**

17. <u>सामुदायिक भवन सुन्दर नगर के निर्माण कार्य में राशि ₹1453/– का अधिक भुगतान करना</u> :–

निर्माण कार्य का नाम	C/o Community Centre Sunder Nagar I/c Parking & Harvesting Tank
अनुबन्ध संख्या	47 of 2012-13
चलित बिल संख्या	5th
ठेकेदार/संविदाकार का नाम	श्री नरेश कुमार

<u>वाऊचर संख्याः 20, माह 10/12, राशि ₹38,84,294/–</u> इस वाऊचर द्वारा सामुदायिक भवन सुन्दर नगर के निर्माण कार्य के 56 वें चलित बिल की राशि ₹38,84,294/– का भुगतान किया गया। इस बिल की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कार्य मदों की कार्य मात्रा की गलत गणना के फलस्वरूप संविदाकार को ₹1,453/– का अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली संविदाकार से करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

माप पुस्तिका सं0	पृ0 सं0	मद का संक्षिप्त नाम	ली गई गणना	सही गणना	अधिक ली गई मात्रा	दर	अधिक भुगतान राशि
1359	91	स्टोन फीलींग बिहांईण्ड रिटेनिंग वॉल	1x3.10x.60x3.65 =8.10	6.79	1.31	628	823

1358	85	टोर स्टील रिइन्फोर्समैन्ट 16एमएम	2x2x1.75=14	7	7x1.58=11.6 kg	57	630
						कुल योग	**₹1,453/–**

18. **<u>ट्राऊट फिश फार्म, पतलीकूहल के निर्माण कार्य में राशि ₹650/– का अधिक भुगतान करना</u> :–**

निमार्ण कार्य का नाम	ट्राऊट फिश फार्म पतलीकुहल
	C/o toilet and pergent Flooring F/F kitchen Shelf
अनुबन्ध संख्याः	14 of 2013-14
चलित बिल संख्याः	2
संविदाकार का नाम	श्री अमृत लाल

वाऊचर संख्याः 114 मास 10/2013 द्वारा राशि ₹1,15,405/– का भुगतान ट्राऊट फिश पतलीकूहल के निर्माण कार्य के दुसरे चलित बिल के लिए किया गया। निर्माण कार्य के द्वितीय चलत बिल की माप पुस्तिका में प्रविष्टियों की पड़ताल करने पर पाया गया कि संविदाकार को माप पुसितका 1292, पृष्ठ संख्याः 73 में निम्नलिखित मद के लिए भुगतान किया गया था जबकि इन मदों का निष्पादन करवाने सम्बन्धी रिकॉर्ड प्रविष्टियां माप पुस्तिका में दर्ज नहीं पाई गई जिस के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अधिक भुगतान की गई राशि ₹650/– की वसूली संविदाकार से करना सुनिश्चित किया जाए।

माप पुस्तिका सं0 व पृ0 सं0	**कार्य मद का संक्षिप्त नाम**	**मात्रा**	**दर**	**कुल राशि (₹)**
1292, पृ0 73	3.P/f ISI Marked Sand cost iron spun fitting and accessories (G) plain Bend 75mm	1	300	300
	Plain Bend 100mm	1	350	350
			कुल राशि	**₹650/–**

19. वाऊचर संख्याः 98, माह 10/2013, राशि ₹1,16,586/– की खरीद से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत नही करना :–

हिमुडा मण्डल के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि माह 10/2013 के दौरान मैं0 टेकनीक फेबरीकेशन प्राईवेट लि0 मोहाली से उनके बिल संख्याः 072, दिनांक 23.10.2013 द्वारा 4 MS Refuse Collector Bin , .60 cum capacity प्रतिबिन ₹25,500/– + टैक्स के हिसाब से ₹1,16,586/– की खरीद की गई थी उक्त खरीद से सम्बन्धित कोटेशन/रेट कंट्रैक्ट व प्रशासनिक स्वीकृति जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए इसके अतिरिक्त मण्डी के सनयार्ड आवास बस्ती में पूर्व में स्थापित बिन के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जाए।

20. प्रतिभूति रजिस्टर का उचित रखरखाव न रखना :–

मण्डी मण्डल के अवधि 04/2013 से 03/2014 के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 से मण्डल स्तर पर संविदाकारों से प्राप्त प्रतिभूतियों तथा रिफण्ड की प्रविष्टियों को प्रतिभूति रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था। संविदाकारों को अवधि 2013–14 के दौरान वापिस की गई प्रतिभूति राशि का अभिलेख कम्पयूटर में रखा गया था जोकि नियमानुसार सही नहीं है। कम्पयूटरीकृत अभिलेख के साथ–साथ रजिस्टर में स्थाई अभिलेख भी रखा जाए। स्थाई अभिलेख न होने के कारण चयनित माह 10/2013 के दौरान संविदाकारों को वापिस की गई निम्नलिखित प्रतिभूति राशियों की प्रविष्टियों का सत्यापन नहीं किया जा सका। जिसे अभिलेख तैयार करने के उपरान्त आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापन करवाया जाए।

वा0 सं0	माह	संविदाकार/ फर्म का नाम	कार्य का नाम	प्रतिभूति धरोहर राशि
38	10/13	मै0 नवर कन्सट्रक्शन	C/o Go Sadan Lahari Bhota	2,75,100
53	10/13	श्री कृष्ण कुमार	--	45,730
76	10/13	श्री सुनील कुमार	--	69,353
99	10/13	श्री हेम सिंह	--	64,500
89	10/13	श्री अमित सेठ	C/o science Block Raison	1,02,300

21. वाऊचर संख्याः 26, दिनांक 03.10.2013, राशि ₹40,575/–

वाऊचर संख्याः 26, दिनांक 03.10.13 द्वारा मैं0 शिमला ओटोमोबाईल लिमिटिड को उनके बिल संख्याः 124911, दिनांक 03.10.2013 के तहत गाडी संख्याः एच0पी0–07ए–0517 की मुरम्मत हेतु भुगतान किया गया थां अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि उक्त भुगतान दुर्घटना ग्रस्त गाडी की मुरम्मत हेतु किया गया था जिस के बारे में विभागीय कार्यवाही रिपोर्ट व बीमा कम्पनी से प्राप्त राशि की स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1070, दिनांक 23.02.2014 द्वारा कहा गया लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक वांछित अभिलेख सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख आवश्यक सत्यापन हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

22. <u>विश्राम गृह की आय की अपेक्षा ₹1,25,149/– का अत्याधिक व्यय</u> :–

हिमुडा मण्डल मण्डी के विश्राम गृह अवधि 2013–14 के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि वर्ष 2013–14 के दौरान ₹10,000/– की आय प्राप्त हुई जबकि विश्राम गृह के रख रखाव व मुरम्मत पर ₹1,25,149/– व्यय किए गए थे। आगन्तुक रजिस्टर की छानबीन करने पर पाया गया कि विश्राम गृह में पूरे वर्ष में प्राईवेट स्तर पर नाम मात्र आगन्तुकों ने ठहराव किया था। अतः विश्राम गृह के दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। विश्राम गृह की आय बढ़ाने के लिए विशेष रूप से मामला हिमुडा के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

23. <u>हिमुडा मण्डल मण्डी के विश्राम गृह के अभिलेख की उचित रख रखाव न रखने बारे</u>

हिमुडा मण्डल के विश्राम गृह के अवधि 2013–14 के अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया कि विश्राम गृह के रजिस्टर का उचित रख रखाव नहीं रखा गया था। रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों एवं प्राप्त शुल्क का अवलोकन करने पर पाया गया कि आगन्तुकों से प्राप्त राशि को कुछ अवधि के बाद इक्कट्ठी रसीद काट कर मण्डल कार्यालय में जमा किया गया था जो कि नियमानुसार सही नहीं है प्रत्येक आगन्तुक की अलग–अलग रसीद काटी व दी जानी अपेक्षित है रजिस्टर में कुछ पन्नों को आधा–अधूरा ही प्रयोग किया गया था तथा कुछ अवधि के दौरान एक भी आगन्तुक नहीं ठहरा जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में विश्राम गृह का उचित

अभिलेख रखा जाए। विश्राम गृह के रजिस्टर में पाई गई कुछ अनियमितताओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

अवधि	राशि	रसीद द्वारा राशि जिस तिथि को जमा की गई	टिप्पणी
02.04.13 से 26.04.13	800	07.05.13	राशि देरी से जमा की गई तथा इक्कट्ठी रसीद काटी गई
01.05.13 से 30.05.13	850	05.06.13	–यथोपरि–
06.06.13 से 31.07.13	1000	21.09.13	–यथोपरि–
03.08.13 से 24.09.13	1600	31.10.13	–यथोपरि–
02.10.13 से 01.11.13	1800	13.11.13	–यथोपरि–
01.02.14 से 21.02.14	1100	21.03.14	–यथोपरि–
24.09.13 से 02.10.13		रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं पाई गई	
16.12.13 से 02.01.14		–यथोपरि–	

24. <u>कालातीत प्रतिभूतियों की राशि को विविध आय में न दर्शाना</u> :–

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल में 31.03.14 तक संविदाकारों से विभिन्न निर्माण कार्यों से प्राप्त प्रतिभूति की राशि ₹91,84,573 ⁄ – थी। इस राशि में प्रतिभूति (Security) की ऐसी राशियां थी जिनके निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके थे और संविदाकार को उनका भुगतान नही किया गया था ऐसी समस्त कालातीत राशियों का विवरण तैयार करके निर्माण मण्डल की विविध आय शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाया जाएं एवं अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

25. <u>अन्तिम निर्माण बिलों को भुगतान के लिए पारित नहीं करना</u> :–

हिमुडा मण्डल मण्डी के अवधि 2013–14 के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि मण्डी मण्डल के विभिन्न उपमण्डलों में निर्माण कार्य समाप्त हो चुके थे लेकिन इन निर्माण कार्यों के अन्तिम बिल भुगतान हेतु पारित नहीं किए गए थे। अन्तिम बिलों की स्थिति बारे अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1080, दिनांक 25.02.15 द्वारा सूचना मांगी गई थी जिसके अनुसार 31.03.14 तक लगभग 28 निर्माण कार्यों के अन्तिम बिल भुगतान के लिए बकाया थें अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया

गया कि उक्त प्रदान की गई सूचना आधी–अधूरी थी। अतः विभिन्न निर्माण कार्यों को अन्तिम बिलों की स्थिति मण्डल के शुरू होने की तिथि से तैयार की जाए तथा निर्माण कार्यों के अन्तिम बिलों को पारित न करने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

26. <u>फोटोस्टेट मशीन के अभिलेख का रख–रखाव नियमानुसार न करना</u> :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल मण्डी में स्थापित फेटोस्टेट मशीनों के अभिलेख का रख–रखाव लेखा नियमों की प्रक्रिया अनुसार नहीं किया गया था फोटोस्टेट मशीन से किए गए कार्य का दैनिक विवरण न तो रजिस्टर/लॉगबुक में दर्ज किया गया था और न ही फोटोस्टेट मशीन में प्रयोग की गई स्टेशनरी व मुरम्मत का क्रमवार विवरण रखा गया था। इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के लिए अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 1072, दिनांक 24.02.15 द्वारा कहा गया जिसे कि अंकेक्षण समाप्ति तक प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि फोटोस्टेट मशीन में प्रयोग की गई सामग्री व मुरम्मत का नियमानुसार क्रमवद्ध ब्यौरा रजिस्टर में तैयार किया जाए तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान दिखाई जाए।

27. <u>प्राईसड स्टोर लेजर का रख–रखाव न करना</u> :–

मण्डल के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण मण्डल में प्राईसड़ स्टोर लैजर को तैयार नही किया जा रहा है जिसके कारण निर्माण कार्यों को जारी सामान का सही मुल्यांकन तथा खाता वही में स्टॉक की दर्शाई गई राशि की पुष्टि की जानी सम्भव नहीं हो पाई। प्राईसड स्टोर लैजर को तैयार न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए। इस महत्वपूर्ण अभिलेख को अविलम्ब तैयार करके वर्ष के अन्त में खाता वही में पाए गए शेष के साथ मिलान भी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

28. <u>संविदाकार खाता बही में प्रविष्टियों को नहीं दर्शाना</u> :–

निर्माण मण्डल मण्डी के अभिलेख की पड़ताल करने पर पाया गया कि मण्डल स्तर पर संविदाकार खाता बही में प्रविष्टियों को दर्ज नहीं किया गया है। जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। खाता बही में संविदाकारों को जारी निर्माण सामग्री की लागत की प्रविष्टियां वसूली हेतु न किए जाने के कारण किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं कियाजा सकता। अतः इस गम्भीर त्रुटि बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व खाता बही को नियमानुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

29. **<u>गाडी संख्याः एच0पी0–07–ए–0517 की लॉग बुक को जाँच हेतु प्रस्तुत करने बारे</u> :–**

अंकेक्षण के दौरान गाड़ी संख्याः एच0पी0–07–ए–0517 की अवधि 2013–14 की लॉग बुक अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत नही की गई जिसे आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

30. **<u>लघु आपत्ति विवरणिका</u> :–** यह अलग से जारी नहीं की गई।

31. **<u>निष्कर्ष</u> :–** लेखों में उचित सुधार की आवश्यकता है। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु उचित कार्यवाही अमल में लाई जाए।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)172/92–खण्ड–II -4254, दिनांकः 1.08.2015

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. प्रधान सचिव (आवास) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002
2. सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार शिमला–171002

पंजीकृत 3. अधिशासी अभियन्ता हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण मण्डल मण्डी हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने के एक माह के भीतर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009

परिशिष्ट–I

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 1(ग) में सन्दर्भित

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के मण्डी मण्डल के अवधि 04/94 से 03/2013 के बकाया पैरों का विवरण

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/94 से 03/95

1. पैरा 5(1) अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 03/2000

1. पैरा 10 अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2000 से 03/2001

1. पैरा 17 अनिर्णीत
2. पैरा 43 अनिर्णीत
3. पैरा 44 अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2001 से 03/2002

1. पैरा 13 अनिर्णीत

(ङ) नगर विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित पैरे

(1) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/97 से 03/98

i) पैरा 22(9) अनिर्णीत

(2) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/99 से 15.01.2001

i) पैरा 51 अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2003 से 03/2004

1. पैरा 7 अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2004 से 03/2005

1.	पैरा 7(ख)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2005 से 03/2006

1.	पैरा 7(1 से 4)	अनिर्णीत
2.	पैरा 9	अनिर्णीत
3.	पैरा 11(1 से 2)	अनिर्णीत
4.	पैरा 14(1 से 4)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2006 से 03/2007

1.	पैरा 9	अनिर्णीत
2.	पैरा 11(2)	अनिर्णीत
3.	पैरा 12	अनिर्णीत
4.	पैरा 13	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2008

1.	पैरा 7	अनिर्णीत
2.	पैरा 9(1 से 4)	अनिर्णीत
3.	पैरा 11(2 से 4)	अनिर्णीत
4.	पैरा 18	अनिर्णीत
5.	पैरा 21	अनिर्णीत
6.	पैरा 22	अनिर्णीत
7.	पैरा 24(i) से (iii)	अनिर्णीत
8.	पैरा 26	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2008 से 03/2009

1.	पैरा 8(i)(ए) से (सी)	अनिर्णीत
2.	पैरा 8(ii)(ए) से (बी)	अनिर्णीत
3.	पैरा 8(iii)(ए)	अनिर्णीत
4.	पैरा 8(iv)(ए)	अनिर्णीत
5.	पैरा 9(i)	अनिर्णीत
6.	पैरा 9(ii)	अनिर्णीत
7.	पैरा 9(iii)	अनिर्णीत
8.	पैरा 9(iv)	अनिर्णीत
9.	पैरा 11(i)	अनिर्णीत
10.	पैरा 11(ii)	अनिर्णीत
11	पैरा 11(iii)	अनिर्णीत
12	पैरा 12	अनिर्णीत
13	पैरा 13(i) से (vi)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2010

1.	पैरा 6(क)	अनिर्णीत
2.	पैरा 7(i) से (iv)	अनिर्णीत
3.	पैरा 7(vi) से (vii)	अनिर्णीत
4.	पैरा 7(xii)	अनिर्णीत

5.	पैरा 7(xiii)	अनिर्णीत
6.	पैरा 7(xv)	अनिर्णीत
7.	पैरा 8	अनिर्णीत
8.	पैरा 9	अनिर्णीत
9.	पैरा 10	अनिर्णीत
10.	पैरा 11	अनिर्णीत
11.	पैरा 12	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 03/2011

1.	पैरा 6	अनिर्णीत
2.	पैरा 7(1)	अनिर्णीत
3.	पैरा 9	अनिर्णीत
4.	पैरा 12	अनिर्णीत
5.	पैरा 12(1)	अनिर्णीत
6.	पैरा 12(2)	अनिर्णीत
7.	पैरा 13	अनिर्णीत
8.	पैरा 14	अनिर्णीत
9.	पैरा 15	अनिर्णीत
10.	पैरा 16	अनिर्णीत
11.	पैरा 17	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2011 से 03/2012

1.	पैरा 4(ख)	अनिर्णीत
2.	पैरा 7(i)(क)(ख)(ग)	अनिर्णीत

	पैरा 7(ii)(क)(ख)(घ)(ङ)	अनिर्णीत	
	पैरा 7(iii)(क)(ख)	अनिर्णीत	
	पैरा 7(iv)(क)	अनिर्णीत	
	पैरा 7(v)(क)(ख)(ग)(घ)	अनिर्णीत	
	पैरा 7(vi)(क)(ख)	अनिर्णीत	
	पैरा 7(vii)	अनिर्णीत	
3.	पैरा 8	अनिर्णीत	
4.	पैरा 9	अनिर्णीत	
5.	पैरा 10	अनिर्णीत	
6.	पैरा 11	अनिर्णीत	
7.	पैरा 12	अनिर्णीत	
8.	पैरा 13	अनिर्णीत	
9.	पैरा 14	अनिर्णीत	
10.	पैरा 15	अनिर्णीत	

(ण) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 03/2013

1.	पैरा 4	अनिर्णीत	
2.	पैरा 5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है
3.	पैरा 6	निर्णीत	——यथोपरि——

4.	पैरा 7	निर्णीत	अभिलेख के सत्यापनोपरान्त
5.	पैरा 8	अनिर्णीत	
6.	पैरा 9(i)(ii)(iii)(iv) (v)(vi)(vii)(viii)	अनिर्णीत	
7.	पैरा 10(i)(ii)(iii) व 10(ख)(iv)	अनिर्णीत	
8.	पैरा 11(i)(ii)	अनिर्णीत	
9.	पैरा 12	अनिर्णीत	
10.	पैरा 13	अनिर्णीत	
11.	पैरा 14	अनिर्णीत	
12.	पैरा 15(i)(ii)	अनिर्णीत	
13.	पैरा 16	अनिर्णीत	
14.	पैरा 17	अनिर्णीत	